भारत सरकार, भारतीय राजनीतिक दलों, नेताओं और संबन्धित एजेंसियों को
भारत में मधेशियों को विशेषाधिकार देने के विषय में
ज्ञापन-पत्र

2014 जुलाई 21 सोमबार

सम्माननीय प्रधानमंत्रीजी
भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल
नई दिल्ली, भारत - 110011

भारत में नेपाल के मधेशियों के मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु तथा नेपाल-भारत बीच हुई ऐतिहासिक संधियों और आदिकाल से ही सीमा आर-पार रहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों को मध्यनजर करते हुए भारत में मधेशियों को विशेषाधिकार देने के लिए अपील करते हुए भारत के गैर-आवासीय मधेशी संघ की तरफ से हम यह ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत करते हैं।

पृष्ठभूमि

मधेश और इसकी सीमा

मधेश/तराई वर्तमान में नेपाल के दक्षिणी समतल भाग है, जिसके दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत की सीमा है। 'मधेश' शब्द 'मध्यदेश' या 'मज्झिमदेश' का अपभ्रंशित रूप है, जिसका अर्थ होता है 'बीच की भूमि'।[1] यह क्षेत्र लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके पूर्व में मेची नदी, पश्चिम में शारदा (महाकाली) नदी, उत्तर में शिवालिक पर्वत और दक्षिण में भारत की गंगा नदी का मैदान है। लगभग 1,400 किलोमीटर की दूरी के लिए मधेश दक्षिण में भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा हुआ है,[2] तो कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए मधेश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्रमशः पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। मधेश के दक्षिण में भारत के साथ कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, बल्कि एक पतली रेखा द्वारा सीमाना निर्धारित की गई है जिसे 'दसगजा' कहते हैं; वहाँ पर जगह-जगह पर सीमा-स्तम्भ खड़े किए गए हैं, जो कई जगहों पर "एक ही गाँवों को दो देशों में विभाजन किए हुए हैं।"[3] "नेपाल और भारत के बीच की यह सीमा केवल सन् 1814-16 के अंग्रेज-नेपाल युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। सन् 1951 में नेपाल में राणा शासन के अन्त तक जब नेपाल पूरे विश्व के लिए बन्द था, तब भी वह भारत के लिए खुला ही था।"[4] "नेपाल और भारत (अंग्रेज) के बीच [1815 में] सुगौली संधि कर सीमांकन होने से पूर्व वर्तमान नेपाल-भारत सीमा आर-पार लोगों का खुला और निर्वाध आवागमन था।"[5]

---

[1] Vivaswan Kumar, "Whole Tarai Belongs To Madhesh: Historical Facts," American Chronicle, March 30, 2009.
[2] Vidya Bir Singh Kansakar, "Nepal-India Open Border: Prospects, Problems and Challenges," Institute of Foreign Affairs, Kathmandu, Nepal, 2001.
[3] Hari Bansh Jha, Nepal's Border Relations with India and China, Eurasia Border Review, Vol.4, No.1, Spring 2013.
[4] Ibid.
[5] Kansakar (2001), op. cit.

मधेशी

मधेशी लोग नेपाल के मधेश/तराई क्षेत्र के मूल निवासी और आदिवासी लोग हैं, जो हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी या अन्य संबंधित मध्यदेशीय भाषा बोलते हैं। मधेश की आबादी लगभग सवा एक करोड़ है, नेपाल की कूल आबादी का 50.3% यहीं रहता है। मधेशियों में थारू, राजवंशी और संथाल जैसे कई आदिवासी भी पड़ते हैं।

इतिहास

मधेश भारतीय सभ्यता का एक गौरवशाली केंद्र रहा है। ऐतिहासिक रूप से, यह भूमि विदेह, काशी और कोसल राज्य का हिस्सा रहा है। बाद में यहाँ पर शाक्य, लिच्छवी, मल्ल और वज्जि गणतंत्र का उदय हुआ। यह भूमि माता सीता और भगवान बुद्ध का जन्मस्थल रहा है। प्राचीन काल में, यहाँ पर सम्राट बिम्बिसार, अजातशत्रु, अशोक और समुद्रगुप्त से लेकर जयवर्द्धन सलहेश जैसे महान राजा-महाराजाओं और सम्राटों ने शासन किया। उसी तरह, 11-14वीं सदी के दौरान, कर्णाटवंशी राजाओं ने बारा जिले के सिमरौनगढ़ में राजधानी स्थापित करके मधेश पर राज्य किया। उसके बाद, 16-18वीं सदी के दौरान, मकवानी सेन वंश ने मधेश में शासन किया। उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ, सेन राजा मुस्लिम सुल्तानों और नवाबों को नजराना देते हुए मधेश में राज्य किया करते थे। मुगलों के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन हो गया। हालांकि, सन् 1816 और 1860 की संधियों के माध्यम से , अंग्रेजों ने मधेश को नेपाल के राजा को सौंप दिया।[6] सन् 1816 दिसंबर 8 के ज्ञापन-पत्र के माध्यम से, नेपाल को सहयोग स्वरूप देते आए प्रति वर्ष दो लाख रुपए के बदले, ब्रिटिश सरकार ने कोशी और रापती नदी बीच के मधेश का भूभाग नेपाल के राजा को सौंप दिया। उसी तरह, 1860 की संधि मार्फत् रापती और महाकाली (शारदा) नदी बीच के मधेश का भूभाग अंग्रेजों ने नेपाल को, भारत में 1857-59 के सिपाही विद्रोह को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को नेपाल द्वारा मिले सैन्य सहयोग के बदले, उपहारस्वरूप नेपाल के राजा को दे दिया। नेपाल का यह क्षेत्र अब भी नया मुल्क के नाम से जाता है। इस तरह से, लगभग 150-200 वर्ष पहले के दौरान, मधेशियों की सहमति बिना जबरन मधेश को नेपाल के हाथों में सौंपा गया, और तब से मधेश नेपाल शासित हिस्सा रहा है।[7]

एकता...

मधेश और इसकी संस्कृति गंगा-मैदान की सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। भू-परिदृश्य, जलवायु, वनस्पति और जीवजन्तु ही नहीं, बल्कि यहाँ की जनता और उनकी संस्कृति, सामाजिक संरचना, जात-जातियाँ, जीवन शैली, वेशभूषा, भाषा, खानपान आदि सभी एक ही हैं। पूरे इतिहास के दौरान वे एक रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा मधेश नेपाल को सौंपने के समय में भी, "मधेशियों द्वारा विद्रोह की सम्भावना को देखकर, अंग्रेजों को गोरखालियों/नेपालियों से संधि करके सुनिश्चित करना पड़ा कि मधेशियों का नेपाली शासन अन्तर्गत जाने की अनिच्छा को लेकर नेपाल सरकार मधेशियों से कभी बदला नहीं लेगी और नेपाल सरकार कभी भी सीमा

---

[6] C. U. Aitchison, A Collection Of Treaties, Engagements And Sanads Relating To India And Neighboring Countries, Vol. 2, Bengal Printing Company Ltd., 1863.

[7] Kumar (2009), op. cit.

आरपार के आवागमन पर कोई भी रोकटोक नहीं लगाएगी।"[8] (सन् 1816 दिसम्बर 8 को की गई ब्रिटिश-नेपाल संधि भी देखें – इसके साथ संलग्न है)

मधेश के साथ भारत का यही ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता और अखण्डता को देखते हुए, स्वतन्त्र भारत ने भी सन् १९५० में नेपाल का अलग अस्तित्व और नेपाल-भारत सीमाना को केवल इसी शर्त पर स्वीकार किया कि चाहे सीमा की किसी ओर रहे, जनता को कोई फर्क न पडे और दोनों ओर एक-दूसरे देशों की जनता को नागरिक-सरह अधिकार मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने सन् १९५० में नेपाल के साथ शान्ति एवम् मैत्री संधि की। उस संधि के अनुसार, "नेपाल और भारत के नागरिक सीमा आरपार खुला रूप से आवतजावत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और दूसरे देशों में भी उन्हें नागरिक सरह अधिकार प्राप्त है।[9] उस संधि की धारा ६ और ७ निम्न प्रकार हैं –

> धारा VI:
> "प्रत्येक सरकार इस बात के लिए प्रतिश्रुत होती है कि भारत और नेपाल के मध्य पडौसी मित्रता प्रमाणस्वरूप दूसरे के नागरिकों के साथ अपने राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास तथा इस विकास हेतु रियायतें और अनुबन्ध प्रदान करने में राष्ट्रीय व्यवहार करेंगी।"
>
> धारा VII:
> "भारत और नेपाल की सरकारें सहमत हैं कि पारस्परिक आधार पर एक के नागरिकों को दूसरे के राज्य में आवास, सम्पत्ति स्वामित्व, व्यापार और विपणन, आवागमन तथा अन्य सुविधाएँ समान रूप से प्रदान करेंगी।"

इस तरह से निवास, संपत्ति-स्वामित्व, व्यापार और वाणिज्य, आवागमन सहित के सन्दर्भों में मधेशियों/नेपालियों का भारत में नागरिक-सरह अधिकार स्थापित हुआ था। उस संधि के जरिए मधेशियों ने भारत में "औद्योगिक और आर्थिक विकास में राष्ट्रीय व्यवहार" पाने के लिए भी अधिकार प्राप्त किया। "भारत और नेपाल बीच सम्पन्न सन् 1950 की शांति एवम् मैत्री संधि ने, मतदान के अधिकार को छोड़कर, एक दूसरे के देशों के नागरिकों को अपने नागरिक समान अधिकार प्रदान किया है।"[10] नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने भी लिखा हैः "सन् 1950 की भारत-नेपाल शांति एवम् मैत्री संधि दोनों देशों के बीच रहे विशेष संबंधों का सेतु है। संधि के प्रावधानों के तहत, नेपाली नागरिकों ने भारत में नागरिक-सरह सुविधा और अवसरों से लाभ उठाते हुए अद्वितीय फायदे का आनंद लिया है।"[11]

हमारा मानना है कि अगर ऐसे विशेषाधिकार उस संधि द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया होता, तो कम-से-कम मधेश की भूमि आज नेपाल के मातहत नहीं होती, जैसा कि कई और लेखक भी मानते हैंः " ...यह संधि का प्रावधान ही था जिसके कारण नेपाल और भारत अलग-अलग देश के रूप में रह सके। संधि का मूलमर्म था कि चाहे सीमा की किसी भी पार रहे, जनता को कुछ फर्क न पड़े। परन्तु वह मूलमर्म आज भूला दिया गया है, मुद्दों का उग्र-राजनैतिकरण कर दिया गया है, और सीमा आर-पार की जनता के बीच में दूरी खड़ी कर दी

---

[8] Jha (2013), op. cit.
[9] Bhattarai, "Open Borders, Closed Citizenships", Institute of Social Studies, The Netherlands, 2007.
[10] Ibid.
[11] "India-Nepal Relations," Indian Embassy, Kathmandu, Nepal (accessed 2013 August 11).

गई है।"[12] और उस उग्र-राजनैतिकरण से मधेशी जनता सबसे पीड़ित हैं। सीमा-क्षेत्र में रहने के कारण और अपना रुपरंग, भाषा, संस्कृति और सामाजिक संरचना सीमा पार के भारतीय लोगों से मिलने की वजह से मधेशी लोग उस उग्र-राजनैतिकरण का बुरी तरह से शिकार हुए हैं। नेपाल के अंदर, मधेशियों को कभी भी मूलधार राष्ट्रीयता का हिस्सा नहीं माना गया, और नेपाल के शासक वर्ग द्वारा मधेशियों की राष्ट्रियता पर शंका करने की वजह से, मधेशी लोग अपनी ही भूमि पर नेपाली शासकों द्वारा सदैव भेदभाव, उपेक्षा, दमन, अमानवीय व्यवहार, विस्थापन, गुलामी (बंधुआ मजदूरी) और शोषण के शिकार हुए हैं।[13] उन्हें नागरिकता जैसे मौलिक अधिकारों से भी वंचित किया गया है।[14] सीमा की दूसरी ओर रहे सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध के लिए, नेपाल के शासक वर्ग मधेशियों और सीमा आरपार रहे ऐतिहासिक सम्बन्धों पर आक्रमण करते रहते हैं।[15]

नेपाल में मधेशियों के मुद्दे

आज नेपाल में मधेशियों की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है कि वे भारत की तरफ रहे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी सीमा पार करने से घबराते हैं। वे सीमा "सुरक्षाकर्मियों" के दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और अत्याचार से परेशान हैं।[16] नेपाल पुलिस, कई अवसरों पर, मधेशियों को सीमावर्ती इलाकों में यातना देती है, उनके घरों में घूस कर मारपीट करती है और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती है। सीमा पर सताए जाने की वजह से, मधेशी लोग भारत में अपने ससुराल या नैहर एक तौलिया या कोई उपहार लेकर भी जाने से घबराते हैं। "यद्यपि व्यक्तिगत प्रयोजन के दैनिक साधन भारत से लाने के लिए कोई सीमा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, पर उसके लिए रिश्वत लेना-देना आमबात है।"[17] सीमावर्ती इलाकों में भारतीय मुद्रा का कृत्रिम अभाव खड़ा किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मधेशियों को भारत की तरफ यात्रा करना मुश्किल हो जाता है।[18] भारतीय मुद्रा के अभाव के कारण, वे स्कूल की फीस और ट्रेन का किराया भुगतान करने में भी असमर्थ होते है, भारत में अपने रिश्तेदारों के घर जाते समय एक छोटा सा उपहार खरीदने में भी असमर्थ होते हैं। भारतीय मालसामान उपर भारी और गलत तरीके से कर लगाया जाता है।[19] उसके अलावा, कभी कभी, भारतीय वाहनों को नेपाल में चलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसी तरह भारतीय सिनेमा, केबल चैनलों और अखबारों पर भी कई बार नेपाल में प्रतिबंध लगते रहते हैं।[20] मधेशियों की सम्पर्क भाषा हिंदी को नेपाल में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने से इन्कार ही नहीं किया जाता, कई हिंदी विरोधी

---

[12] Bhattarai (2007), op. cit.
[13] F. H. Gaige, Regionalism and National Unity in Nepal, University of California Press, 1975; "Nepal Human Development Report 2009: State Transformation and Human Development," UNDP Nepal, 2009 (available online).
[14] "Millions of Nepal's children risk statelessness: U.N.," Reuters, 2011 August 23.
[15] "Indefinite Curfew Imposed After Riots in Nepal," OhmyNews, 2006 December 27. "Regional riots in Nepal border town despite curfew," One India (Reuters), 2006 December 26; "Indian Film Star Sparks Riots in Nepal," ABC News, 2000 December 27.
[16] "Stories of harassment, violence and discrimination: migrant experiences between India, Nepal and Bangladesh," Overseas Development Institute (ODI), January 2012.
[17] Benjamin Hans, Nepal's Border to India, 2009.
[18] "IC shortage hits traders, public," The Kathmandu Post, 2013 March 29.
[19] Department of Customs, Customs Tariff 2011 - 2012, Government of Nepal Ministry of Finance, 2012.
[20] "Breakaway Maoist faction in Nepal bans Indian vehicles, films, music," Hindustan Times, 2012 September 26. "Chandni Chowk to China' fumbles in Nepal, protests over Buddha remark", IANS, 2009 January 21.

अभियान चलाए जाते हैं, जबकि कुछ दशक पहले तक नेपाल में हिन्दी ही शिक्षण और पठनपाठन की भाषा हुआ करती थी।[21] मधेशियों की परम्परागत वेशभूषा धोती, कुर्ता और लुंगी अक्सर नेपाल के शासक वर्ग द्वारा आक्रमण का विषय बनाया जाता है।[22] कई बार मधेशियों और भारतीय को निशाना बनाते हुए दंगे कराए जाते हैं, भारतीय और मधेशियों के घर और दुकान पर तोडफोड़ की जाती है और आग लगा दी जाती है।[23] सीमा आर-पार किसी भी प्रकार के सम्बन्ध रखने से निरुत्साहित किया जाता है, इसके लिए भारत से नेपाल आनेवाले रिश्तेदारों को अपमानित और प्रताडित किया जाता है, और कभी-कभी तो भारतीय रिश्तेदार लोग नेपाली शासकवर्ग और अधिकारियों के बलात्कार के भी शिकार होते हैं। जैसे कि सन् 2010 में जब एक भारतीय नवदुल्हन शादी के बाद आशीर्वाद लेने अपने पति के साथ जनकपुर के प्रख्यात जानकी मंदिर आई थी, तो रेलवे स्टेशन पर ही नेपाल पुलिस द्वारा उसे बलात्कार किया गया था।[24] उसी तरह दुर्गापूजा और अन्य त्योहारों के दौरान भी भारतीय लोग नेपाल के सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करने और दो-पक्षों के बीच के संबंध तोड़ने के लिए नेपाली शासकवर्ग द्वारा इस किस्म के अनेकों क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाते है। सीमा आर-पार रहे वैवाहिक सम्बन्धों को तोडने के लिए नेपाली शासकवर्ग मधेशियों को नेपाल के भीतर ही शादी के लिए "प्रोत्साहित करने" के लिए कानून बनाने में लगे हैं।[25] उसके लिए कड़ा नागरिकता कानून आदि भी लाने में वे लोग लगे हुए हैं, जिसमें भारतीय महिला से विवाह करने पर १५ वर्ष तक नेपाल में स्थायी वास न होने तक उनको नेपाली नागरिकता न देने का प्रावधान भी शामिल है।[26] अर्थात् शादी के १५ वर्ष तक उन्हें अनागरिक बनकर राज्यविहिन की तरह ही रहना होगा। उसी तरह माता और पिता दोनों नेपाली नागरिक होने पर ही बच्चों को नेपाली नागरिकता मिलने का प्रावधान भी कायम किए जा रहे हैं, ताकि मधेशी लोग भारतीय से शादी नहीं करेंगे।[27] इस तरह के कठोर नागरिकता विधेयक लाकर नेपाल के लगभग २१ लाख लोगों को राज्यविहिन बनाने का षडयन्त्र किया जा रहा है।[28] क्या भारतीय-मूल के लोग और मधेशियों के लिए नेपाल में उचित स्थान, अधिकार और सुरक्षा की सुनिश्चितता करना भारत की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए ?

---

[21] Nepal Vice President gets death threats over Hindi," Zee New, August 29, 2009. "Nepal: Supreme Court Rules Vice President's Oath in Hindi Unconstitutional," Library of Congress, 2009 July 30; Alaka Atreya Chudal, "Vice President Jha's Oath in Hindi: Response to Hindi in Nepal," 2009.

[22] "Facing protests, Nepal VP discards dhoti-kurta for nat'l dress," Outlook India, Jul 26, 2008.

[23] "Two Nepali students killed during anti-Hrithik demonstrations," rediff.com, 2000 December 26; "Anti-India wave sweeps across Nepal," rediff.com, 2000 December 29. "Nepal media group declares war on India," Times of India, 2010 August 29; "Schools closed in Nepal to protest against Indian textbooks," Zee News, 2013 February 10; "Rethinking anti-Indianism in Nepal," Republica, 2010 April 25.

[24] IANS, "Violence breaks out in Nepal after cop rapes Indian woman", 2010 March 22; Times of India, "After girl's 'gangrape', Bihar couple goes missing in Nepal", 2010 Mar 31..

[25] "Nepal for encouraging marriage within country," The Himalayan Times, 2012-03-21.

[26] "However, if a foreign man married to Nepali women wishes to apply for naturalized citizenship, he must live in Nepal for 15 years before he is allowed to apply for citizenship. Also, the children from such couple are entitled to naturalized citizenship only, since the foreigner father has to wait 15 years to obtain citizenship." In "Citizenship provisions remain contested when Nepal writes its new constitution," International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2011-09-05.

[27] "The absence of either parent would be enough to disqualify the child. It also means that children with one Nepali and one foreign parent would be ineligible for citizenship if the foreign parent cannot (due to conflicting provisions) or does not wish to take on Nepali citizenship." In George Varughese and Pema Abrahams, "Stateless in new Nepal," Nepali Times, Issue 608, June 2012.

[28] George Varughese and Pema Abrahams, "Stateless in new Nepal," Nepali Times, Issue 608, June 2012.

भारत में नेपाल के मधेशियों के मुद्दे

"सिद्धांततः, भारत में नेपालियों को मतदान के अधिकार के अलावा, भारतीय नागरिक सरह ही अधिकार प्राप्त है, फिर भी अक्सर उन्हें आधारभूत कानूनी अधिकारों से वंचित किया जाता है और वे लोग श्रम अधिकार उल्लंघन और विभिन्न शोषण की चपेट में आते रहे हैं।"[29] भारतीय नागरिक सरह अधिकार पाने की बात तो दूर, मधेशियों को अक्सर अपने पहचान-पत्र या नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्र के आधार पर भारत में एक मोबाइल सिम कार्ड तक नहीं मिलता। सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीय बाजारों में जहाँ मधेशियों को नियमित व्यापार-व्यवसाय रहता है, वहाँ वे एक बैंक खाता नहीं खुलवा सकते, भारतीय बैंकों से कर्ज या अन्य सुविधाएं प्राप्त करना तो दूर की बात है।[30] मधेशियों को भारत में वाणिज्य बैंकिंग तक पहुँच नहीं है।[31] नेपाली या मधेशी अपने नेपाली पासपोर्ट के आधार पर अमेरिका और यूरोप में बैंक खाता खोल सकते हैं, पर भारत में नहीं, जबकि भारत में उन्हें नागरिक-सरह अधिकार देने का प्रावधान रहा है। अधिकांश मधेशियों को बोनस, संचय कोष, विमा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति जैसी सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती। "नेपाली प्रवासियों को राशन कार्ड प्राप्त नहीं होता, यह शांति एवम् मैत्री संधि के प्रावधान का उल्लंघन है।"[32]

पहचान या जन्म-दिन प्रमाणित करने नेपाल सरकार द्वारा जारी गांव विकास समिति के पत्र लगायत के दस्तावेजों को भारत में अक्सर मान्यता नहीं मिलती, जिसके कारण से कई बार मधेशियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उपयुक्त पहचान पत्र के अभाव में मधेशियों को भारत में कम वेतन देकर काम पर रखा जाता है[33] और मकान-मालिक से लेकर फैक्टरी मालिक तक के हाथों मधेशियों का शोषण भी किया जाता है। मधेशियों को अच्छी-खासी जगहों पर नौकरी नहीं मिलती। मधेशियों को भारतीय सेना में भी प्रवेश नहीं दिया जाता, जबकि वहाँ पर पहाडी नेपालियों के लिए अलग गोरखा रेजिमेंट रहता आया है।

"सीमा अधिकारी और पुलिस मधेशियों को अनेक तरीकों से यातना देती है ताकि वे घूस ले सके।"[34] मधेशी लोग भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मियों के द्वारा भी अपमानित और प्रताडित होते रहे हैं। नेपाली शासकों को खुश करने और उनसे अपने अनुकुल विभिन्न संधि-समझौते करने, कई बार भारतीय पक्ष भारत में रहते आए मधेशी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को पकड़कर नेपाल को सौंपते हैं, जिसे नेपाली पुलिस अनेकों यातनाएँ देती है, और कई बार तो गैर-न्यायिक हत्या भी कर देती है।[35]

---

[29] Raju Bhattarai, "Open Borders, Closed Citizenships", Institute of Social Studies, The Netherlands, 2007.

[30] "to start a bank account, one needs some kind of identity proof and resident proof like ration card, voting identity card or driving license etc. and a guarantor. The migrants of this class cannot provide all these documents. Hence they are unable to start and use a bank account." Bhattarai (2007), op. cit.

[31] Susan Thieme, "Social Networks and Migration: Far West Nepalese Labour Migrants in Delhi," LIT Verlag Münster, 2006.

[32] Bhattarai (2007), op. cit.

[33] Govinda Neupane, "Nepalese Migrants in Delhi", 2005.

[34] Bhattarai (2007), op. cit.

[35] Investigating Allegations of Extra-Judicial Killings in the Terai," United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Nepal, 2010: "OHCHR received information that Mahato had been arrested by Indian police on 18 July at 4pm from Jainagar in Madhubani District of Bihar in India, and was handed over to Nepal Police of Siraha District. He was later found dead. The source raised concern that Mahato might have been killed by the police."

प्रमाणों के तहत यह देखा जा सकता है कि भारत ने व्यापार और पारगमन के संबंध में भी मधेशियों के ऊपर विचार नहीं किया है। नेपाल के शासकवर्ग को जो भी कुछ चीजें चाहिए, वे भारत सरकार निर्बाध ले जाने देती है, परन्तु आम मधेशियों और किसानों को जो खाद, बीज, चिनी जैसी अत्यावश्यक चीजें चाहिए, उन्हें नहीं ले जाने देती है। भारत से आधा बोरा खाद लाने की कोशिस करने पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल मधेशियों पर गोली चलाने में भी संकोच नहीं करते।[36] लेकिन वही, मधेशी किसानों के हित प्रतिकूल भारत नेपाल चावल निर्यात करता है, जिसके कारण से मधेशी किसान ऋण में ही नहीं डुबते बल्कि मधेश के छोटे-छोटे राइस मिल भी बन्द हो जाते हैं।[37] नेपाल भारत के बीच खुला सीमा होते हुए भी भारत की व्यापार और पारवहन नीति इतनी असंवदेनशील है कि बच्चे के दूध (पावडर मिल्क) तक लाने ऊपर भी प्रतिबन्ध है, जिसके कारण से भारत में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते-जाते रहनेवाले बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

एक अविभाज्य सम्बन्ध और आगे की दिशा

पूरे इतिहास के दौरान, मधेश भारतीय सभ्यता का एक अविभाज्य अंग रहा है और आज भी मधेशी लोग इस पर गर्व करते हैं। मधेशियों ने भारत को उसकी समृद्धि के दिनों में ही नहीं, बल्कि मुसीबतों के दिनों में भी साथ दिया है। जब नेपाली शासकवर्ग अंग्रेजों को साथ देते हुए अपनी सेना भेजकर भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का दमन कर रहे थे, कई शहरों में आग लगाकर तहस-नहस कर रहे थे, भारतीय जनता को लूटने, मारने और बलात्कार करने में लगे हुए थे,[38] तब भी मधेशी लोग भारतीय जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में मदद कर रहे थे। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए मधेशियों ने 'आजाद दस्ता' को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ कई भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को मधेशियों ने अपने घर में शरण दिया था। जब नेपाल सरकार ने जय प्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया सहित के कई भारतीय नेताओं को पकड़कर नेपाल के हनुमाननगर जेल में बंद कर दिया, तब वह कोई और नहीं बल्कि बहादुर मधेशी ही थे, जिन्होंने वीरतापूर्वक अपना जीवन खतरा में डालकर जेल पर हमला किया और उन सबको छुड़ाया, जिसके लिए नेपाल सरकार ने 127 मधेशियों को जेल में बंद कर दिया था। उनमें से कुछ की जेल में ही मृत्यु हो गई थी।

यह नेपाल के शासकवर्ग है जो सदैव भारतीय जनता के खिलाफ रहते आए हैं, चाहे वह भारतीय आजादी आन्दोलन के दौरान अंग्रेजों की मदद करने की बात हो, या अनधिकृत रूप में विदेश से हतियार मँगाने की बात (जिसके कारण सन् 1989 में भारत को नेपाल ऊपर नाकाबन्दी लगानी पड़ी थी), या सन् १९९९ में इंडियन एयरलायन्स के विमान अपहरण होने की बात,[39] या सन् 2000 के ऋतिक रोशन कांड जैसे अनेकों भारत-विरोधी दंगा करवाने की बात,[40] या नेपाल पुलिस के संरक्षण में भारतीय जाली नोट का धन्धा चलाने की बात।[41] परन्तु फिर भी भारत सरकार ने सदैव नेपाली शासकवर्ग का ही साथ दिया और मधेशियों की ही उपेक्षा की, जब कि भारतीयों से अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और वैवाहिक सम्बन्ध और

---

[36] "Villager hurt in SSB firing," Times of India, 2012 June 22. "11 arrested for smuggling chemical fertilizers from India, Nepalnews, 2012 June 6; "No end in sight to fertilizer crisis," Republica, 2012 July 5.
[37] "Import of Indian rice puts Nepalese rice industry at risk," The Himalayan Times, 2013 January 24.
[38] The Great Mutiny and the Gurkha, http://weaponsandwarfare.com/?p=3420
[39] "IC-814 hijack suspect worked closely with Dawood," Zee News, 2012 September 15.
[40] "Two Nepali students killed during anti-Hrithik demonstrations," rediff.com, 2000 December 26; "Anti-India wave sweeps across Nepal," rediff.com, 2000 December 29.
[41] "Politicians and police are involved. Otherwise how can so much fake currency be smuggled?" Nepali Times, 2008 October 31.

निकटता के कारण मधेशियों को विशेषाधिकार मिलना चाहिए था। मधेशियों ने भारत के लिए चीरकाल से बलिदानी दी है, चाहे वह भारतीय आजादी आन्दोलन की बात हो या नेपाल के भारत-विरोधी दंगों की बात, चाहे वह भारतीय बाँध से मधेशियों की फसल और गाँव डुबने और क्षतिग्रस्त होने की बात हो[42] या जंगल कटानी करके रेत, गिट्टी-रोड़ा आदि भारत सप्लाई करने से मधेश की भूमि मरूभूमिकरण या भूक्षयिकरण होने की बात[43]। आज भी हरेक उतार-चढाव में मधेशी लोग भारतीय जनता के साथ देते आए हैं। भारतीय जनता पर बाढ़, आगलगी या शीतलहर जैसे कोई विपत्त आने पर, आज भी किसी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था के सहयोग पहुँचने से पहले, उनके सहायतार्थ मधेशी लोग पहुँचते हैं।[44] परन्तु हाल की राजनैतिक गतिविधियाँ उस सम्बन्ध को बलि की वेदी तक पहुँचा ही दी हैं। अतः उस सनातन सम्बन्धों को पुनर्जागरण करना और एक-दूसरे के विश्वास और सद्भाव को पुनः कायम करना आज दोनो पक्षों के लिए अहम् हो गया है। उसी हेतु हम सब मधेशी निम्न बातों पर विचार करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करते हैं।

माँगें

1. **सन् 1950 की नेपाल-भारत शांति एवम् मैत्री संधि पर प्रतिबद्धताः** सन् १९५० में भारत और नेपाल सरकार के बीच सम्पन्न शांति एवम् मैत्री संधि पर भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता को दोहराए, और संधि के पीछे "नेपाल-भारत सीमा के चाहे किसी पार हो, जनता को कोई फर्क न पड़े" का जो निहित मूलभाव था, उसे अंगीकार करे। स्मरण रहे–

(क) संधि की धारा VI: "प्रत्येक सरकार इस बात के लिए प्रतिश्रुत होती है कि भारत और नेपाल के मध्य पडौसी मित्रता प्रमाणस्वरूप दूसरे के नागरिकों के साथ अपने राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास तथा इस विकास हेतु रियायतें और अनुबन्ध प्रदान करने में राष्ट्रीय व्यवहार करेंगी।"

(ख) संधि की धारा VII: "भारत और नेपाल की सरकारें सहमत हैं कि पारस्परिक आधार पर एक के नागरिकों को दूसरे के राज्य में आवास, सम्पत्ति स्वामित्व, व्यापार और विपणन, आवागमन तथा अन्य सुविधाएँ समान रूप से प्रदान करेंगी।"

2. खुला सीमानाः वर्तमान नेपाल-भारत की सीमा आर-पार आदिकाल से ही रहे सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों को स्वीकार करते हुए तथा राजनीतिक पुनर्व्यवस्था के रूप में वर्तमान सीमा द्वारा मधेशियों का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन को हाल की घटना होने की बात को याद करते हुए, भारत सरकार मधेश/नेपाल से अपनी खुली सीमा को जारी रखने तथा दोनों ओर की जनता को आवश्यक सर-सामान सहित उत्पीड़न और अत्याचार के बिना निर्बाध सीमा आर-पार करने देने के लिए प्रतिबद्ध रहे।

(क) भारत सरकार नेपाल-भारत सीमा आरपार दैनिक उपभोग और घरेलु सामान की आवाजाही बेरोकटोक होने दे।

---

[42] "Indian dams inundate over 1,500 hectare Nepali soil," Republica Daily, 2013 August 09; "6 Saptari VDCs fear inundation by Indian dam," 2013 March 19; "Koshi High Dam: A grand design for disaster," The Weekly Mirror; Buddhi Narayan Shrestha, "Dams in India-Nepal Border," Bhumichitra, Kathmandu, Nepal, 2008.

[43] "Help save the Chure Hills," Nepali Times, 2012 Nov 23; "Ban on sand, stone export flayed," Kantipur, 2010 October 13

[44] "10,000 Indian flood victims have entered Nepal for relief: Report," Times of India, 2008 August 25. "NEPAL: Thousands of Indians seek refuge from floods," IRIN, 15 September 2008.

(ख) भारत सरकार कम-से-कम नेपाल-भारत सीमा से सटे राज्यों में नेपाली प्लेट के वाहनों को, किसी भी कस्टम या पारगमन शुल्क के बिना, मुक्त आवाजाही की अनुमति दे, और समान रूप से यही बात भारतीय वाहनों के लिए नेपाल में भी लागू करने के लिए नेपाल सरकार से अनुरोध करे।

3. पहचान पत्र और जन्म-प्रमाण पत्रः भारत में नेपाली/मधेशियों को सेवा और अधिकार से वंचित होने पडने के एक प्रमुख कारण पहचान-पत्र और जन्म प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों को भारत सरकार मान्यता दे। इनमें नेपाल सरकार की ग्राम विकास समितियों और जिला प्रशासन कार्यालयों से जारी जन्मदर्ता प्रमाण-पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाणपत्र और अन्य सिफारिश पत्र शामिल हैं। नेपाल में लाखों मधेशियों को नागरिकता नहीं मिल पाने तथा मतदाता नामावली में दर्ज नहीं हो पाने की वजह से ग्राम विकास समितियों और जिला प्रशासन कार्यालयों सहित के सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी पत्र नेपाल के अंदर भी प्रयोग करना मजबूरी रही है। इसलिए भारत सरकार भी मधेशी और अन्य नेपाली नागरिकों से इस तरह के पहचान पत्र को भारत के सरकारी कार्यालयों, होटलों, बैंकों, घर मालिकों, कंपनियों, कारखानों में मान्य और स्वीकार्य बनाने हेतु सार्वजनिक आदेश जारी करे और ऐसे पहचान-पत्र व्यवहार में स्वीकार्य कराने जागरूकता अभियान भी संचालन करे।

उपर्युक्त प्रावधानों को लागू करना असंतोषजनक या मुश्किल लगने पर भारत सरकार, पीआईओ (PIO) कार्ड की तरह, मधेशियों के लिए विशेष पहचान-पत्र की व्यवस्था करे, क्योंकि मधेशियों को पारिवारिक सम्बन्ध, भ्रमण, अध्ययन, नौकरी और कारोबार के सिलसिले में भारत आतेजाते रहना या भारत में अस्थायी निवास करते रहना पडता है। स्मरण रहे, अन्यथा योग्य होने के बावजूद भी, कई मधेशियों को (जैसे भारत में जन्मे पर बाद में वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा अंगीकृत नेपाली नागरिकता हासिल किए लोग और उनके पति/पत्नी को) सिर्फ नेपाली नागरिक होने के कारण, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन (पीआईओ) कार्ड प्राप्त करने और उसकी सुविधाएँ प्राप्त करने अयोग्य माना जाता है।[45]

४. निवास और व्यापार के लिए आधारभूत सुविधाएँः नेपाल-भारत शांति एवम् मैत्री संधि 1950 की 7वीं धारा को सम्मान करते हुए भारत सरकार मधेशियों को अपने मौजूदा पहचान पत्र के आधार पर निम्न चीजों में पहुँच दे–

- वाणिज्य बैंकिंग सेवा
- दूरसंचार, बिजली लगायत यूटिलीटि सेवा (जैसे मधेशियों को मौजूदा पहचान-पत्र के आधार पर सिम कार्ड और दूरसंचार सेवा प्रदान करना)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- अध्ययन, घर, कार और लघु-व्यवसाय ऋण
- भूमि, मकान, वाहन और व्यापार का स्वामित्व
- वीमा और स्वास्थ्य सेवा
- विद्यालय/शिक्षण संस्थाओं में पहुँच

5. राशन कार्ड और सामाजिक भत्ताः सीमा आर-पार के वैवाहिक और परिवारिक निकट संबंध तथा हजारों वर्ष से रहे ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लगाव, के कारण सीमा की एक तरफ की स्थिति को दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। बाढ़, आगलगी या अकाल के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से देखी जा

[45] http://www.visa.blsindia-usa.com/pio.php

सकती है, जब सीमा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता और दोनों ओर की जनता एक-दूसरे की मदद के लिए जुटती हैं। इसलिए कोई भी उद्धार और राहत कार्यक्रम हो या सामाजिक कल्याण भत्ता की व्यवस्था, वह उस पूरे पीड़ित क्षेत्र के लिए होना जायज है। इस आधार पर भारत सरकार अपना राहत और उद्धार कार्यक्रम, गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, कम आय वालों के लिए आवास प्रवन्ध लगायत की सुविधाओं का विस्तार मधेशियों के लिए भी करे।

6 छात्रवृत्ति कोटाः भारत सरकार द्वारा नेपाल में प्रदान की जाने वाले शैक्षिक छात्रवृत्तियों में मधेशियों के लिए अलग कोटा हो।

7 नौकरियों में पहुँचः रक्षा और खुफिया सेवा जैसे संवेदनशील विभागों को छोड़कर सभी क्षेत्रों के नौकरियों में भारत सरकार मधेशियों को पहुँच दे। नेपाली नागरिक होने के कारण से ही कई सामान्य जगहों पर भारत में मधेशियों को नौकरी नहीं देने के वर्तमान रवैया को अन्त करने के लिए भारत सरकार जनचेतना अभियान संचालन करे।

8 भारतीय सेना में मधेशियों का प्रवेशः भारतीय सेना में नेपालियों के प्रवेश को लेकर रहे विभेदकारी नीति का भारत सरकार अन्त करे, और भारतीय सेना में अन्य नेपालियों की तरह मधेशियों को प्रवेश दे या मधेशियों के लिए अलग ही बटालियन खड़ी करे।

9 मधेशी किसानों के लिए रियायतेंः भारत सरकार मधेशी किसानों को सीमावर्ती क्षेत्र के बाजारों तक निर्बाध और खुली पहुँच दे। आवश्यक कृषि उपकरण, खाद, बीज और कीटनाशक जैसी चीजें भारत से ड्यूटी-फ्री लाने के लिए उन्हें छूट हो।

10 सम्पत्ति स्वामित्व और हस्तान्तरणः भारत में मधेशियों को सम्पत्ति का स्वामित्व लेने, विरासत में पाने या हस्तान्तरण करने का अधिकार मिले।

11 भारतीय मुद्राओं की उपलब्धताः मधेशियों को भारत में नियमित रूप से यात्रा, आर्थिक लेनदेन या खरीददारी की जरूरत होती है। पर मधेश में भारतीय मुद्राओं का कृत्रिम अभाव सृजना करके इसमें व्यापक रूप से रुकावट डाला जा रहा है, जिससे मधेशियों को बहुत कठिनाई हो रही है। इसलिए भारत सरकार मधेश में भारतीय मुद्राओं की आसान और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहल करे।

12. नेपाल में मधेशियों के अधिकारों की सुनिश्चितताः विलायती सरकार और नेपाल के राजा के बीच सन् 1816 दिसंबर 8 को हुई संधि में, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनस्थ मधेश/तराई की भूमि नेपाल को सौंपी गई थी, उसमें प्रष्ट लिखा हुआ है किः "नेपाल के राजा यह स्वीकार करते हैं कि वे तराई के उनके शासन के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन के पश्चात् वहाँ के किसी निवासी पर युद्ध के दौरान ब्रिटिश हितों का साथ देने के लिए कोई सजा नहीं देंगे।" (संलग्न संधि दस्तावेज देखें) भारत की आजादी और अंग्रेजो के चले जाने के साथ, उस शर्त को पालन करवाना और नेपाल में मधेशियों के साथ भेदभाव और प्रताड़न न होने की सुनिश्चितता करना भारत सरकार की जिम्मेबारी है। उसी आधार पर, नेपाल के मधेशियों को नेपाल में नागरिक के रूप में हर मौलिक अधिकार मिले, इसकी सुनिश्चितता करना भी भारत की जिम्मेबारी है। परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत के रिपोर्टों में भी यह व्यापक रूप से स्थापित तथ्य है कि नेपाल में बहुत मधेशियों को नागरिकता के अधिकारों से लेकर मतदान, भूमि और संपत्ति स्वामित्व, सरकारी नौकरियों तक पहुँच और

कई अन्य मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है।[46] इसलिए भारत सरकार नेपाल में भी मधेशियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से मदद करे।

13 सीमावर्ती क्षेत्र में बांध और बाढ़: भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में निर्मित भारत-नियन्त्रित बैरज, बाँध और तटबंध और उनके कमजोर देखभाल और व्यवस्थापन के कारण हर साल मधेश के हजारों गाँव बाढ़ और डुबान से पीड़ित होते हैं।[47] इसलिए, भारत सरकार मधेश/तराई में उपरोक्त बाढ़ और क्षति की संभावना को कम करने के लिए उचित पहल करे।

14 शांतिपूर्ण सीमा-क्षेत्र: नेपाली और भारतीय दोनों सरकारों द्वारा नेपाल-भारत सीमा-क्षेत्र में अपनी-अपनी सैन्य उपस्थिति हाल के वर्षों में काफी बढा दी गई है, जो भारी सैनिकीकरण की प्रत्याभूति देती है।[48] सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच समय-समय में होनेवाली मुठभेड[४९] और उन मुद्दों का राजनीतिकरण करने के कारण इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा कमजोर करने के साथ-साथ लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। सीमा-क्षेत्र की जनता की शांति, सुरक्षा और जीवन प्रति जिम्मेवार और संवेदनशील होते हुए भारत सरकार सीमा-क्षेत्र के विवादों को शांति एवम् सद्भावपूर्ण तरीकों से समाधान करे।

15 भारतीय विकास अनुदान और सहायता में मधेश के लिए अलग कोटा: भारत सरकार द्वारा नेपाल को दिए गए विकास अनुदानों में मधेश के लिए उचित हिस्सा निर्धारित कर दे, जहाँ नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी रहती हैं।[50] नेपाल में रहे क्षेत्रीय भेदभाव के कारण, प्राप्त वैदेशिक सहयोग और अनुदान का बहुत ही तुच्छ हिस्सा मधेश को मिलता रहा है, और अधिकांश हिस्सा नेपाल सरकार द्वारा नेपाल के उत्तरी भागों में दे दिया जाता है जहाँ नेपाल के शासकवर्ग रहते हैं।[51]

---

[46] S. G. Shah, Social Inclusion of Madheshi Community in Nation Building," Civil Society Forum Workshop, Social Inclusion Research Fund, February 2006 (available online); F. H. Gaige, Regionalism and National Unity in Nepal, University of California Press, 1975; "Nepal Human Development Report 2009: State Transformation and Human Development," UNDP Nepal, 2009 (available online).

[47] "India blamed for dam burst," The Rising Nepal, 2009 August 21; "Indian dams inundate over 1,500 hectare Nepali soil," Republica, 2013 August 9; "Nepal road inundated due to Indian embankment," Republica, 2012 October 6; "India, Nepal bicker over cause of flood," Taipei Times, 2007 August 7; "Monsoon floods devastate South Asia," New Scientist, 10 August 2007: "The Nepalese foreign ministry charges that dams built by India all along the border, often illegally, are preventing rivers draining from Nepal and causing hundreds of the country's villages to disappear under water. The dams are on tributaries of the river Ganges that flow out of the Himalayas. The Indian state of Bihar has been protected at the expense of Terai, Nepal claims."

[48] Buddhi N Shrestha, "Security Concern and Border Management of Nepal," 19 October 2011: "India has deployed 45,000 Special Services Bureau (SSB) para-military forces along Indo-Nepal border. They have a plan to rise to 70,000. [Nepal has deployed] 4,740 APF [armed police force] for security and revenue purposes in 20 Tarai districts."; "India will deploy additional troops in Nepal border," Spotlight, 2012 June 22; "India to deploy additional troops along Nepal, Bhutan borders", The Indian Express, 2012 June 28: "India has 450 BoPs along the Indo-Nepal border and the distance between two BoPs is 4.5 km. According to the security strengthening plan for the Nepal border, over the next five years, 89 new BoPs will be created and the aim is to reduce the inter-BoP distance to 3.47 km. "

[49] "SSB men 'torture' Nepali youth to death," Nepalnews.com, 04 October 2009; "SSB excesses continue in Pashupatinagar as locals start to fear for their lives" nepalnews.com, 31 January 2010; "Torture Compensation Case filed against [Nepal] Police," Advocacy Forum, 24 August 2011.

[50] Census Report 2011, Central Bureau of Statistics, Nepal.

[51] One economist told this author that only 1/7 of the Indian assistance goes to Madhesh/Terai. The exact figure, though, needs to be researched.

हम बहुत ही आशावादी हैं कि भारत सरकार और संबंधित निकाय इस ज्ञापन पत्र में उल्लेखित मामलों की जांच-पडताल करेंगे और मुद्दों का समाधान करने के लिए सही पहल करेंगे। हम आप के सकारात्मक कदम के लिए प्रतिक्षारत हैं। धन्यवाद।

आभारी,

डॉ. सी. के. राउत , पीएच. डी. (कैम्ब्रिज)
अध्यक्ष, गैर-आवासीय मधेशी संघ

गैर-आवासीय मधेशी संघ के विषय में:

गैर-आवासीय मधेशी संघ सम्पूर्ण मधेशियों के कल्याण के हेतु सक्रिय विश्वव्यापी संस्था है। इसकी मौजूदगी या प्रतिनिधि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व, पूर्व और मध्य एशिया, यूरोप, भारत और नेपाल में है। यह संयुक्त राज्य अमरीका में गैर-नाफामूलक संस्था के रूप में दर्ज है। विश्व भर में मधेशियों की प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ यह संस्था संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न गोष्ठी और बैठकों में भी शामिल होता रहा है।

साथ में संलग्नः

1, मधेश-तराई प्रोफ़ाइल
२. संधियों की प्रतियां
    (क) सन् 1950 नेपाल-भारत शांति एवम् मैत्री संधि
    (ख) सन् 1860 विलायत-नेपाल संधि
    (ग) सन् 1816 विलायत-नेपाल संधि

प्रतिलिपीः

१. विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
२. प्रेस ट्रस्ट अफ इंडिया, भारत
३. भारतीय राजनैतिक पार्टियाँ
४. भारतीय राजदूताबास, काठमाण्डू, नेपाल

सम्पर्कः

डॉ. सी. के. राउत, पीएच. डी. (कैम्ब्रिज)
ईमेलः ckraut@cantab.net, nrm.association@gmail.com
फोनः +977-9817727359 (नेपाल), +91-8800289890 (India)

सुजित कुमार ठाकुर
फोनः +91-9560424891 (भारत)